प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.05.2025

ट्रांस हिंडन जोन पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया।

दिनांक 28.05.2025 को शाम 07:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक ट्रांस हिण्डन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में शराब ठेकों के आस पास व सड़क के किनारे अवैध रूप से लगी दुकानें, ठेली-ठपरी व सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे 201 व्यक्तियों को, जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था। जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया व उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान की कार्यवाही की गई। इस अभियान के अंतर्गत ट्रांस हिण्डन जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई।

थानावार चालान की स्थिति निम्नवत है –

थाना इन्दिरापुरम– 30, कौशाम्बी– 28, खोड़ा– 27, साहिबाबाद– 26, लिंकरोड– 29, शालीमार गार्डन– 29, टीलामोड़– 32, कुल – 201 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गयी।

थाना कोतवाली नगर साइबर सेल टीम द्वारा वादिया की 25000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 05.03.2025 को आवेदिका द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी गई, जिसमें आवेदिका के साथ लोन एग्रीमेन्ट के नाम पर 25000/- रूपये का फ्रॉड हुआ था। आवेदिका को जस्ट डायल के माध्यम से कॉल आया था जिसमें उनके द्वारा लोन कराने के नाम पर एडवांस पेमेन्ट माँगी गई। आवेदिका के साथ उपरोक्त धनराशि का फ्रॉड हुआ व आवेदिका द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई।

साइबर सेल टीम द्वारा आवेदिका की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से पत्राचार कर आवेदिका के रूपयों को सम्बन्धित खाते में होल्ड व फ्रीज कराया गया। दिनांक 29.05.2025 को 25000/- रूपये आवेदिका के खाते मे वापस कराये गये। आवेदिका द्वारा साइबर सैल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद को आभार प्रकट किया।

<u>कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम</u>:-

साइबर सेल टीम, थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा बसों में चोरी करने वाले जेब कतरे गिरोह के 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 18 ब्लेड व चोरी के 50 हजार रुपये बरामद।

दिनांक 28.05.2025 को एबीईएस कॉलेज के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 04 व्यक्ति बस से उतर कर भागे जिनके पीछे बस में बैठे लोगों द्वारा चोर-चोर कहकर शोर मचाया तो तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उन 04 अभियुक्तों में से 02 अभियुक्तों को भाग कर मौके पर पकड लिया तथा भीड का फायदा उठाकर 02 अभियुक्त मौके से भाग गये। पकडे गये अभियुक्तों के नाम 1. मुकीर आलम पुत्र मुस्तकीम आलम निवासी इस्तफाक नगर लिसाडी गेट मेरठ उम्र करीब 52 वर्ष 2. इस्लाम पुत्र कमरुद्दीन निवासी श्याम नगर लिसाड़ी गेट उम्र करीब 50 वर्ष हैं। अभियुक्तों की तलाशी पर इनके कब्जे से 05 ब्लेड व चोरी के 50 हजार रुपये मिले। इस घटना के सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी मौहम्मद शाहिद निवासी जनपद बिजनौर द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई कि मैं रोडवेज बस में बैठकर गाजियाबाद किसी काम से आया था। मेरे बैग में 50 हजार रुपये थे। जब मुझे लाल कुँआ के पास उतरना था तो मैंने देखा कि मेरे बैग में रुपये नही हैं तथा बैग को किसी ने नीचे की तरफ से ब्लेड मारकर काट दिया है तब मैंने शोर मचाया तो बस के चालक द्वारा बस को एबीईएस कॉलेज के सामने रोक लिया। बस के रुकते ही बस में मौजूद 04 व्यक्ति बस से कूदकर भागने लगे तथा एबीईएस कॉलेज के सामने खडी पुलिस टीम द्वारा 04 चोरों में से 02 चोरों को पकड लिया जिनके कब्जे से 05 ब्लेड व चोरी के 50 हजार रुपये बरामद हुए तथा पकडे गये अभियुक्तों से उनके दो अन्य भागे हुए साथियों के नाम पूछे तो बताया कि एक का नाम फरदीन व दूसरे का नाम सतीश है जो मेरठ के रहने वाले हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 305/317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 29.05.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1. फरदीन पुत्र नईम निवासी रसीदनगर जाट वाली गली लिसाड़ी गेट थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 31 वर्ष 2. सतीश कुमार पुत्र फतेह सिंह निवासी वैद्य वाली गली ब्रहमपुरी इन्द्रानगर-02 थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ उम्र करीब 39 वर्ष को शाहबेरी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 माचिस की डिब्बी में रखे 13 ब्लेड बरामद हुए। अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग मेरठ रोडवेज बस अड्डे से दिल्ली व गाजियाबाद की तरफ जाने वाली बस में चढ जाते हैं जिस सवारी पर हमें यह शक होता है कि इसके

बैग में रुपये या अन्य कीमती सामान है तो उस बैग को नीचे ब्लेड मारकर काट देते हैं तथा हम लोग एक दूसरे की मदद से बैग में रखे कीमती सामान व रुपये चोरी कर लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. मुकीर आलम पुत्र मुस्तकीम आलम निवासी इस्तफाक नगर लिसाडी गेट मेरठ उम्र करीब 52 वर्ष।
2. इस्लाम पुत्र कमरुद्दीन निवासी श्याम नगर लिसाड़ी गेट उम्र करीब 50 वर्ष।
3. फरदीन पुत्र नईम निवासी रसीदनगर जाट वाली गली लिसाड़ी गेट थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 31 वर्ष।
4. सतीश कुमार पुत्र फतेह सिंह निवासी वैद्य वाली गली ब्रहमपुरी इन्द्रानगर-02 थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ उम्र करीब 39 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त मुकीर आलम के विरुद्ध थाना सदर बाजार मेरठ में आयुध अधिनियम का 01 अभियोग व थाना सिविल लाइन्स मुजफ्फरनगर में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-03)

अभियुक्त इस्लाम के विरुद्ध थाना कंकरखेडा मेरठ में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-02)

अभियुक्त फरदीन के विरुद्ध थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ में हत्या के प्रयास का 01 अभियोग, थाना नौचंदी मेरठ में आयुध अधिनियम का 01 अभियोग व थाना सदर बाजार मेरठ में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-04)

अभियुक्त सतीश के विरुद्ध थाना कंकर खेडा मेरठ में आयुध अधिनियम का 01 अभियोग, थाना किठौर मेरठ में आयुध अधिनियम का 01 अभियोग व थाना नौचंदी में आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना ब्रहमपुरी मेरठ में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-05)

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 18 ब्लेड व चोरी के 50 हजार रुपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।